निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 1056) पटना, बुधवार, 16 सितम्बर 2015

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

———————

अधिसूचना

13 जुलाई 2015

सं0 1219—आनन्द मठ बाबा सिद्धेश्वर नाथ महादेव, मौजा–शुभंकरपुर पोहद्दी, पोस्ट–पोहद्दी, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3872 है।

इस न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 2032 दिनांक 23.12.2008 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था। उक्त अधिसूचना में ग्राम का नाम महिनाम अंकित होने के कारण पोहद्दी ग्राम के लोगों ने पर्षद में आपत्ति की। इस मामले में उभय पक्षों की सुनवाई की गई तथा जिला पदाधिकारी, दरभंगा से प्रतिवेदन मांगा गया। इस संदर्भ में अपर समाहर्त्ता, दरभंगा का पत्रांक 1115/रा0 दिनांक 21.04.2010 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसके साथ अंचल अधिकारी, बेनीपुर का प्रतिवेदन पत्रांक 377 दिनांक 19.03.2010 भी संलग्न किया गया था। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लिखित था कि बाबा सिद्धेश्वर नाथ मठ मौजा शुभंकरपुर पोहद्दी थाना नं0 147 में अवस्थित है। इसके आलोक में आदेश दिनांक 13.07.2013 द्वारा बाबा सिद्धेश्वर नाथ मठ को मौजा शुभंकरपुर पोहद्दी में अवस्थित होने को मान्य किया गया।

इसी बीच श्री शिशिर कुमार झा, ग्राम पोहद्दी ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी0 डब्लु जे0 सी0 सं0 13255/2012 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2013 को याचिका का निष्पादन करते हुए यह कहा गया कि अपर समाहर्त्ता के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रश्नगत मठ पोहद्दी में अवस्थित है। अतः वर्त्तमान न्यास समिति की अवधि के समाप्ति के पश्चात् नई समिति का गठन मठ के सही पते पर की जाय।

उक्त न्यास समिति का गठन दिनांक 23.12.2008 को 05 वर्षो के लिए हुआ था, इस तरह इसका कार्यकाल समाप्त हो गया है। नई न्यास समिति के गठन के लिए सदस्यों का नाम भेजने हेतु अंचल अधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा को पर्षदीय पत्रांक 2421 दिनांक 31.03.2014 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त पत्र के अनुपालन में अंचल अधिकारी, बेनीपुर, दरभंगा से उनके पत्रांक 1324 दिनांक 26.09.2014 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह व्यक्तियों का नाम प्राप्त हुआ है। इसके आलोक में न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हए आनन्द मठ बाबा सिद्धेश्वर नाथ महादेव, मौजा–शुभंकरपुर पोहद्दी, पोस्ट–पोहद्दी, थाना–बहेड़ा, जिला–दरभंगा की सम्पत्तियों की सुरक्षा संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''आनन्द मठ बाबा सिद्धेश्वर नाथ महादेव, न्यास योजना''** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''आनन्द मठ बाबा सिद्धेश्वर नाथ महादेव, न्यास समिति,''** होगी जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।

5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

12. इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 13.07.2015 से पॉच वर्षो का होगा। एक वर्ष के बाद इसकी कार्यो की समीक्षा की जायेगी।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1)	श्री रामेश्वर लाल कर्ण, पे0–स्व0 कृष्ण बिहारी लाल कर्ण, ग्राम+पोस्ट–महिनाम, बेनीपुर, दरभंगा	–	अध्यक्ष
(2)	श्री पलटु साफी, पे0–स्व0 पंचू साफी ग्राम+पोस्ट–पोहद्दी, बेनीपुर, दरभंगा	–	सचिव
(3)	श्री श्याम सिंह पे0–स्व0 बैधनाथ सिंह, ग्राम+पोस्ट–सज्जनपुरा, बेनीपुर, दरभंगा	–	कोषाध्यक्ष
(4)	श्री रामउइगार झा, पे0–स्व0 काली झा, ग्राम+पोस्ट–पोहद्दी, बेनीपुर, दरभंगा	–	सदस्य
(5)	श्री श्रीकान्त झा, पे0–स्व0 नारायण झा, ग्राम+पोस्ट–पोहद्दी, बेनीपुर, दरभंगा	–	सदस्य
(6)	श्री पशुपति मिश्रा, पे0–स्व0 बालेश्वर मिश्र, ग्राम+पोस्ट–पोहद्दी, बेनीपुर, दरभंगा	–	सदस्य
(7)	श्री विनोद झा, पे0–स्व0 नागेश्वर झा, ग्राम+पोस्ट–महिनाम, बेनीपुर, दरभंगा	–	सदस्य
(8)	श्री रमेश झा, पे0–स्व0 दशरथ झा, ग्राम+पोस्ट–महिनाम, बेनीपुर, दरभंगा	–	सदस्य
(9)	श्री देवचंद्र मिश्रा, पे0–स्व0 उमाकान्त मिश्र, ग्राम+पोस्ट–महिनाम, बेनीपुर, दरभंगा	–	सदस्य
(10)	श्री राम उचित यादव, पे0–कारी यादव, ग्राम–कटवासा, पोस्ट–सज्जनपुरा, बेनीपुर, दरभंगा	–	सदस्य
(11)	श्री चिरंजीव सिंह, पे0–श्री लक्ष्मण सिंह ग्राम+पोस्ट–सज्जनपुरा, बेनीपुर, दरभंगा	–	सदस्य

आदेश से,

किशोर कुणाल,

अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1056-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in